झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं. **2242/2023**

अमिताभ ठाकुर, लगभग 59 वर्ष , पिता- श्री वी.एन. ठाकुर, प्रोपराइटर- मेसर्स श्यामा एंटरप्राइजेज, आवास संख्या 77, श्याम पथ कदमा, डाकघर और थाना- कदमा, नगर जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड 831005 और स्थायी निवासी फ्लैट नं. एफ/2, ब्लॉक सी, कामधेनु अपार्टमेंट, मरीन ड्राइव, कदमा, डाकघर और थाना- कदमा, नगर जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम 831005, वर्तमान में फ्लैट नं. 6/11, रोड नं. 11, वार्ड नं. 15, हरम नगर, आदित्यपुर, डाकघर और थाना- आदित्यपुर, जिला- सराईकेला खरसावां

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2.आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, शाखा प्रमुख प्रबंधक श्री रवि भूषण के माध्यम से, पिता- श्री सूरज प्रसाद, शाखा- कार्यालय होल्डिंग नंबर 1378, गोविंदनगर, एस.डी. सिंह पथ कदमा, डाकघर और थाना - कदमा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड- 831005

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अनिश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

श्री आशीष प्रियदर्शी, अधिवक्ता

राज्य के लिएः सुश्री. कुमारी रश्मि, सहायक लोक अभियोजक

विरोधी पक्ष 2 के लिए: श्री. पार्थ एस. ए. एस. पति, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए दायर की गई है, जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत है, जिसमें कदमा पी.एस. केस संख्या 147/2022 की प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई है, जो शिकायत मामला संख्या 418/2021 से उत्पन्न हुई है, साथ ही इस मामले की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द करने की मांग की गई है, जो वर्तमान में माननीय एस.डी.जे.एम., जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 19.09.2017 को शिकायतकर्ता बैंक से कार्यशील पूंजी के लिए ₹6,00,000 का ऋण लिया था, जिसमें विभिन्न ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन बाद में वह ऋण राशि की चुकौती में चूक गए और बिना बैंक को सूचित किए अपने निवास का पता और मोबाइल नंबर बदल दिया। बैंक को ऐसा लगा कि शुरुआत से ही याचिकाकर्ता-आरोपी ने धोखाधड़ी की गलत नियत से बैंक से संपर्क किया और विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया। इसी कारण उसने ठंडे दिमाग से योजना बनाई और अपने निवास का पता बदलकर बैंक को नुकसान पहुँचाया। इसलिए शिकायत मामला संख्या 418/2021 दायर की गई, जिसे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत पुलिस को संदर्भित किया गया। इसके परिणामस्वरूप कदमा थाना मामला संख्या 147/2022 में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें जांच चल रही है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता जताई है जो श्री गुंजन कौशिक बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक 23 नवंबर, 2023 को पारित किया गया था। इस निर्णय में इस न्यायालय ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता जताई थी जो उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में (2005) 10 एससीसी 336 में दिया गया था, जिसका अनुच्छेद-6 इस प्रकार है:

> *"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि हर अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहाँ प्रारंभ में कोई धोखा दिया गया हो। यदि धोखा देने की मंशा बाद में विकसित हुई है, तो वही धोखाधड़ी के बराबर नहीं होगी। वर्तमान मामले में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि प्रारंभ में आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखा देने की कोई मंशा थी, जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एक पूर्व शर्त है।" (जोर दिया गया)*

और इस न्यायालय ने स्थापित कानूनी सिद्धांत को दोहराया कि हर अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा; जहाँ प्रारंभ में कोई धोखा दिया गया हो। यदि धोखा देने की मंशा बाद में विकसित हुई है, तो वही धोखाधड़ी के बराबर नहीं होगी।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान अनुपूरक हलफनामे की ओर आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि यद्यपि ऋण 2017 में लिया गया था, लेकिन शिकायत 2021 में दायर की गई, जो यह दर्शाती है कि चार वर्षों तक याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता बैंक के साथ संतोषजनक रूप से खाते बनाए रखता रहा। और चार वर्षों का यह समय बहुत लंबा है यह आरोप लगाने के लिए कि ऋण लेने के प्रारंभ से ही याचिकाकर्ता की शिकायतकर्ता बैंक को धोखा देने की मंशा थी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता बैंक ने एक शुद्ध नागरिक विवाद को आपराधिक अपराध का आवरण दिया है। अंततः यह प्रस्तुत किया गया कि कदमा थाना मामला संख्या 147/2022 की प्राथमिकी, जो शिकायत मामला संख्या 418/2021 से उत्पन्न हुई है, और इस मामले की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही जो वर्तमान में माननीय एस.डी.जे.एम., जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को रद्द किया जाए और अस्वीकार किया जाए।

6. राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक और विरोधी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की प्राथमिकी को रद्द करने और अस्वीकार करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह केवल ऋण राशि की चुकौती में चूक का मामला नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने बिना बैंक को सूचित किए अपने निवास का पता और मोबाइल नंबर बदल दिया। इसलिए, यह याचिकाकर्ता की आपराधिक मंशा को दर्शाता है, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 और 420 के तहत अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के है, इसे खारिज किया जाए।

7. बार में की गई प्रतिकूल प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिनोद कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में कहा है, जो (2014) 10 एससीसी 663 में रिपोर्ट किया गया है, जिसका अनुच्छेद 18 इस प्रकार है:

> *"18. वर्तमान मामले में, शिकायत में आरोपों को देखते हुए, हमें यह पता चलता है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 405 के तत्वों को आकर्षित करने वाले कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। इसी तरह, धोखाधड़ी या अपीलकर्ताओं की धन को*

बनाए रखने की गलत मंशा के संबंध में कोई आरोप नहीं हैं ताकि वे अपने लिए अनुचित लाभ प्राप्त कर सकें या शिकायतकर्ता को अनुचित नुकसान पहुंचा सकें। केवल यह सामान्य आरोप है कि अपीलकर्ताओं ने दूसरे उत्तरदाता को भुगतान नहीं किया और अपीलकर्ताओं ने राशि का उपयोग स्वयं या किसी अन्य कार्य के लिए किया, लेकिन संपत्ति के दुरुपयोग में गलत मंशा का कोई आरोप नहीं है। आपराधिक विश्वासघात का मामला बनाने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि धन अपीलकर्ताओं द्वारा रखा गया है। यह भी दिखाना होगा कि अपीलकर्ताओं ने किसी न किसी तरह से इसे अनैतिक तरीके से निपटाया या अनैतिक तरीके से रखा। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को धन का भुगतान नहीं किया, आपराधिक विश्वासघात के बराबर नहीं है।" (जोर दिया गया)

यह भी कहा गया कि आपराधिक विश्वासघात का मामला बनाने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि संपत्ति आरोपी व्यक्तियों द्वारा रखी गई है, बल्कि यह भी दिखाना होगा कि आरोपी व्यक्तियों ने किसी न किसी तरीके से इसे अनैतिक तरीके से निपटाया या अनैतिक तरीके से रखा और केवल यह तथ्य कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को पैसे का भुगतान नहीं किया, आपराधिक विश्वासघात के बराबर नहीं है।

8. अब, इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता लगभग चार वर्षों तक शिकायतकर्ता बैंक का उधारकर्ता था और उसने स्पष्ट रूप से चार वर्षों तक शिकायतकर्ता बैंक के साथ अपनी ऋण सुविधा का संतोषजनक उपयोग करने के बाद चूक की। तर्क के लिए मान लेते हैं कि याचिकाकर्ता की शिकायतकर्ता बैंक को धोखा देने की मंशा प्रारंभ से ही थी, तो यह अत्यधिक असंभावित है कि वह ऋण राशि की चुकौती में चूक करने के लिए चार वर्षों तक प्रतीक्षा करता।

9. याचिकाकर्ता ने इस आपराधिक विविध याचिका के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता ने कभी अपना मोबाइल नंबर नहीं बदला और वही अभी भी सक्रिय है, जो निर्विवादित है। याचिकाकर्ता पर किसी भी तरह से ऋण का दुरुपयोग करने का कोई आरोप नहीं है।

10. ऐसे परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि भले ही शिकायत में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को सत्य माना जाए, फिर भी न तो धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध और न ही धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ स्थापित होता है। इसलिए, इस आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक ऐसा मामला है जहाँ कदमा थाना मामला संख्या 147/2022 जो

शिकायत मामला संख्या 418/2021 से उत्पन्न हुआ है और जो वर्तमान में माननीय एस.डी.जे.एम., जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, उसे याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किए अनुसार रद्द किया जाए और अस्वीकार किया जाए।

11. तदनुसार, कदमा थाना मामला संख्या 147/2022 की प्राथमिकी जो शिकायत मामला संख्या 418/ 2021 से उत्पन्न हुई थी और जो वर्तमान में माननीय एस.डी.जे.एम., जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, उसे याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किए अनुसार रद्द किया जाता है।

12. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक: 10 जनवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|